राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2491/2001

मुकेश कुमार अहारी एवं अन्य

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से : श्री अखिलेश राजपुरोहित।

प्रतिवादी(ओं) की ओर से :

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

29/04/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 12.06.2001 (अनुलग्नक 4) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने निर्देश दिया था कि वे सभी अभ्यर्थी, जिन्हें 21.10.1999 के बाद निवास के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देकर ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके नाम चयन सूची से हटा दिए जाएं। एक नई चयन सूची तैयार की गई और उक्त नई सूची के अनुसार सफल पाए गए अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

2. अंतिम सुनवाई के लिए रिट याचिका (वर्ष 2001 में दायर) को स्वीकार करते हुए, दिनांक 12.06.2001 के विवादित आदेश के संचालन और प्रभाव को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2001 को पारित अंतरिम आदेश द्वारा रोक दिया गया था, जो आज तक

कायम है।

3. संक्षेप में, याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि जिला स्थापना समिति, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा दिनांक 26.02.1999 को ग्राम सेवक पदेन सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 01/99 प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया और सफल हुए तथा इस प्रकार दिनांक 15.11.1999 को उनकी नियुक्ति हुई।

3.1. तथापि, दिनांक 12.06.2001 के आदेश के अनुसार, निवास के आधार पर बोनस अंक प्रदान करने पर दिनांक 21.10.1999 के बाद ग्राम सेवक के रूप में नियुक्त सभी अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि दिनांक 12.06.2001 के आदेश के अनुसरण में उनकी सेवाएं समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में गलत चयन सूची तैयार की थी।

3.2. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तैयार की गई अंतिम चयन सूची में बोनस अंक प्रदान करने के बाद याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रमांक 10 और 40 पर थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बोनस अंकों के लाभ के बिना भी, 22 मार्च 1995 और 11 मार्च 1998 की अधिसूचनाओं के अनुसार, उनके नाम सूची में उचित रूप से उच्च स्थान पर रखे जा सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय जनजातीय क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि यह मानदंड सही ढंग से लागू किया जाता है, तो उनके नाम एसटी श्रेणी में क्रमशः क्रमांक 7 और 23 पर होंगे। यह देखते हुए कि एसटी उम्मीदवारों के लिए 54 रिक्तियां आरक्षित हैं, याचिकाकर्ता ग्राम सेवक के पद पर नियुक्ति के लिए अपने अधिकार का दावा करते हैं। इसलिए, यह रिट याचिका।

4. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि 12.6.2001 के अनुलग्नक-4 के अवलोकन से ही पता चल जाएगा कि इसे 27.02.2001 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जारी किया गया है। इसलिए अनुलग्नक-4 इस न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आदेश के अलावा और कुछ नहीं है। मेरिट सूची तैयार करने के बाद, यह निर्धारित किया जाना बाकी था कि सेवा में बने रहने के हकदार कौन हैं और यह तभी संभव होगा जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए याचिका समय से पहले दायर की गई है। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि मेरिट सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रम संख्या 10 और 40 पर थे। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावा मान्य नहीं है और जिस विचार को किसी विशेष क्षेत्र तक

सीमित करने की मांग की गई है वह मान्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं का दावा पूरी तरह से काल्पनिक है। पहले जब मेरिट सूची तैयार की गई थी, उस समय याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसे उचित रूप से नहीं उठाया गया क्योंकि सूची कानून के अनुसार तैयार की गई थी, इसलिए अब जब नई सूची तैयार की जा रही है तो याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है, जबकि प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

6. मैंने केस फाइल के रिकॉर्ड को भी देखा है। मेरा मानना है कि कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: अपील (सिविल) संख्या 4417/2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, जो अन्य संबंधित मामलों के साथ 30.07.2002 को तय किया गया था, यहां उठाया गया विवाद पहले से ही न्यायनिर्णित है। वर्तमान याचिका का निपटारा उपरोक्त निर्णय के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

7. त्वरित संदर्भ के लिए, कैलाश चंद शर्मा (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "ऊपर उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी विवादों पर उचित ध्यान देते हुए तथा तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा संभावित अधिनिर्णय को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के आलोक में प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित और न्यायसंगत मानते हैं कि राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखी जाए जिन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है तथा 18.11.1999 को या उसके बाद नियुक्तियों को याचिकाकर्ताओं के दावों के अधीन किसी भी जिले में शामिल किया जाए। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं:
>
> 1. रिट याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस निर्णय के आलोक में 18.11.99 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों या चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों के संबंध में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए, जिन्हें अभी नियुक्त किया जाना है। इस तरह के विचार पर, यदि उन रिट याचिकाकर्ताओं में 10% और/या 5% के बोनस अंकों को छोड़कर बेहतर

योग्यता पाई जाती है, तो उन्हें 18.11.1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों को हटाकर, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियां दी जानी चाहिए।

2. 17.11.1999 तक की नियुक्तियों को इस निर्णय में निर्धारित कानून के आलोक में पुनः खोलने तथा पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

3. अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 542/2000 को एतद्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि यह उच्च न्यायालय के निर्णय के लगभग एक वर्ष बाद दायर की गई थी तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में पहले से संपर्क न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

विदा लेने से पहले, हमें यह कहना चाहिए कि हमने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के ढांचे के भीतर कार्य करते हुए इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उपरोक्त राहत को ढाला है। जहां तक राहत पूर्वोक्त तरीके से दी गई है या संशोधित की गई है, इस निर्णय को भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

विदा लेने से पहले एक और टिप्पणी। जबकि हम ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता को समझते हैं और इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई भी कार्रवाई समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में होनी चाहिए। असमान लोगों की कमियों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान बनाना संविधान के तहत अस्वीकार्य नहीं है, बशर्ते कि यह समग्र समानता को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता हो। हालांकि, स्थानीयता के आधार पर राज्य द्वारा उठाए गए उपाय समानता के संवैधानिक जनादेश द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। जैसा कि निर्णय में संकेत दिया गया है, ग्रामीण उम्मीदवारों को महत्व देने का कोई भी प्रयास वैज्ञानिक अध्ययन और समानता की संवैधानिक गारंटी से संबंधित विचारों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

एसएलपी से उत्पन्न होने वाली अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय उस सीमा तक संशोधित माने जाते हैं। ऊपर उल्लिखित रिट याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

8. तदनुसार, उपर्युक्त आधार पर, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.07.2001 के अंतरिम आदेश को पूर्ण मानते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तथापि, प्रतिवादियों को उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि सत्यापन के पश्चात यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने समकक्षों के समान स्थिति में नहीं हैं, जिन्हें 19.11.1999 से पहले नियुक्त किया गया था, जिन्हें कैलाश चंद शर्मा निर्णय (सुप्रा) के आलोक में सेवा में बने रहने का लाभ दिया गया था।

9. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।